# नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :कस्वासांभर पटवार मण्डल :सांभरलेक भू.अ.नि.वृत:सांभरलेक तहसील:फुलेरा जिला:जयपुर

| | | |
|---|---|---|
| नामांतरकरण का प्रकार : सर्मपण | प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :2796 01/12/2025 | संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2072-2075 |
| रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक : | | नामांतरकरण शुल्क :0 शास्ति : 0 |

| सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि | | | | | | जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खाता संख्या | खसरा संख्या | क्षेत्रफल | मृदा वर्गीकरण | राजस्व लगान | विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम | खाता संख्या | विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम | खसरा संख्या | क्षेत्रफल | मृदा वर्गीकरण | राजस्व लगान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 103 | 2604/1323 | 1.1167 | बारानी 4 | 1.11 | 1.) मनसुख रियल्टी<br>हिस्सा- पूर्ण<br>जाति- N/A सा. प्लाट नम्बर 1, द्वितीय तल, ज्ञान विहार डी. सी. एम. अजमेर रोड जयपुर<br>खातेदार | 358 | 1.) नगरपालिका मण्डल सांभरलेक<br>हिस्सा- पूर्ण<br>संस्था के लिए<br>--बदस्तूर खसरा-- | 2604/1323 | 1.1167 | आवासीय | 0.00 |
| **खाता : 103** | **कुल खसरे : 3** | **कुल क्षेत्रफल : 2.6555** | | **कुल काश्तकार : 1** | | **खाता : 358** | **कुल काश्तकार : 1** | **कुल खसरे : 218** | | **कुल क्षेत्रफल: 90.5162** | |

## खातों का विवरण:-

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **खाता : 103** | **कुल खसरे : 3** | **कुल क्षेत्रफल : 2.6555** | **कुल काश्तकार : 1** | **खाता : 103** | **कुल काश्तकार : 1** | **कुल खसरे : 2** | **कुल क्षेत्रफल : 1.5388** |
| | | | | **खाता : 358** | **कुल काश्तकार : 1** | **कुल खसरे : 218** | **कुल क्षेत्रफल : 90.5162** |

पटवारी की रिपोर्ट :श्रीमानजी मुताबिक समर्पण पत्र व आदेश के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

पटवारी का नाम NEMI CHAND
दिनांक 12/2/2025 11:05:47 AM

ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी की जांच रिपोर्ट :
sweekrit

ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम SRISHTI JAIN
दिनांक 12/4/2025 3:45:23 PM

NAGAR PALIKA, SAMBHAR
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

क्रमांक: LSGCLU90A/2025-26/107209

दिनांक: 17/11/2025

विषय – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

## आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री **MANSUKH REALTY AUTHORIZE PATNER DINESH KUMAWAT** पुत्र श्री **SHIV BHAGWAN** जाति **KUMAWAT**

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

| क्र.सं. | ग्राम, तहसील | खातेदार का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SAMBHAR LAKE, SAMBHAR LAKE | MANSUKH REALTY,OFFICE ADDRESS PLOT NO.1, SECOND FLOOR,GYAN VIHAR, DCM,AJMER ROAD, JAIPUR | 2604/1323 | 11167 |
| | | | कुल | **11167** |

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की –मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

3. यह कि मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजो/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियो को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमो या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **17-11-2025** को पारित किया गया है।

Signature valid

Digitally Signed by C[illegible]GANLAL02
Designation : EO/ C[illegible]MISSIONER
Date: 2025.1[illegible]43:44 IST
Reason: Appro[illegible]
Location: Rajasthan, IN

नोटः यह एक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है और इसके लिए किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।